<u>न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट, कसया, कुशीनगर ।</u>

पीठासीन अधिकारी– (Sri Shobhit Ray),

(उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP02498

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र सं०-1168/2020

सैफुननिशा बनाम हाकिम आदि

<u>31.08.2020</u>

<u>आदेश</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थिनी **सैफुननिशा** की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा-155(2) दं०प्र०सं० प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है, कि उसके द्वारा घटना की सूचना संबंधित थाने पर दी गयी थी, जिस पर एन०सी०आर० नं०-0093/2020, थाना-पटहेरवा, जिला-कुशीनगर में दर्ज किया गया। परन्तु बिना न्यायालय की अनुमति के उक्त मामलें में विवेचना किया जाना सम्भव नहीं है। अतः विवेचना हेतु सम्बधित थानाध्यक्ष को निर्देशित करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थिनी द्वारा एन०सी०आर० की द्वितीय प्रति दाखिल की गयी है। अतः विवेचना कराये जाने का आधार पर्याप्त है। थाना प्रभारी**- पटहेरवा** को निर्देशित किया जाता है कि वे **एन०सी०आर०सं०- 0093/2020** में यदि विवेचना न हो रही हो तो नियमानुसार प्रार्थिनी के प्रार्थना पत्र के प्रकाश में विवेचना करें और बाद विवेचना अपनी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत करें।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कसया , कुशीनगर।

Digitally signed by Shobhit Ray
Date: 2020.08.31 16:48:50 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court